न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 07/2022

अपीलार्थी
लीलादेवी पुत्री भूबाजी रावल पत्नी भुराराम जी, जाति– रावल, निवासी– तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही, हाल– मगरीवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण
(1) मंछाराम पुत्र भूबाजी रावल, जाति– रावल, निवासी–तंवरी, तह. व जिला– सिरोही
(2) शान्तादेवी पत्नी ओटारामजी रावल, जाति–रावल, निवासी–तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही, हाल निवासी–मालगांव, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही
(3) देविकाकुमारी पुत्री ओटाराम जी रावल, जाति– रावल, निवासी– तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही, हाल निवासी– मालगांव, तहसील–रेवदरा, जिला– सिरोही
(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 17 अक्टूम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम फलवदी, पटवार हल्का, जेला के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से पेश किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गांव फलवदी, पटवार क्षेत्र जेला, तहसील सिरोही में वर्तमान भू प्रबन्ध अनुसार कृषि भूमि खाता संख्या नया 14 खसरा संख्या 599 रकबा 0.0100 हेक्टेयर व खसरा संख्या 600 रकबा 0.9100 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.9200 हेक्टेयर एवं खाता संख्या नया 13 खसरा संख्या 572 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 598 रकबा 0.3500 हेक्टेयर व खसरा संख्या 601 रकबा 1.6600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.2800 हेक्टेयर आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के गत भू प्रबन्ध के खाता संख्या 125 खसरा संख्या 456 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा एवं खाता संख्या 127 खसरा संख्या 433 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 457 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा व खसरा संख्या 919 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा है। उ[illegible] कृषि भूमि भुबाजी रावल के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि र[illegible] हुई है। भुबाजी की मृत्यु के समय भुबाजी के उ[illegible] (पुत्र), ओटाराम (पु[illegible]) व लीला

....[illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

(पुत्री) रहे है। यह कि भुबाजी की मृत्यु के पश्चात भुबाजी के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि पर भुबाजी के सभी वारिसान का समान खातेदारी हक हिस्सा है। अपीलार्थी का प्रश्नगत कृषि भूमि पर उसके खातेदारी हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलार्थी के पिता भुबाजी की स्वतन्त्र कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि थी जिससे भूबाजी की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी का उक्त कृषि भूमि में 1/3 खातेदारी हक हिस्सा निहित हुआ है। भुबाजी के पुत्र मंछाराम का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा तथा भुबाजी के दूसरे पुत्र ओटाराम का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा निहीत हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपीलार्थी के पिता भूबाजी का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा रहा है, जिससे भूबाजी की मृत्यु के पश्चात भुबाजी के 1/2 खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि में अपीलार्थी का तीसरा खातेदारी हक हिस्सा निहित हुआ है एवं इसी हक हिस्से अनुसार अपीलार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त व हक अधिकार है। इस प्रकार, उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपीलार्थी का 1/6 खातेदारी हक हिस्सा है, प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/6 खातेदारी हक हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का सयुंक्त रूप से 1/6 खातेदारी हक हिस्सा है। यह कि भुबाजी की मृत्यु के प्रश्चात भुबाजी के कानूनी वारिसान में भूबाजी के दो पुत्र क्रमशः मछाराम, ओटाराम तथा एक पुत्री लीलादेवी जीवित है। भुबाजी की पुत्री लीलादेवी इस अपील में अपीलार्थी है। भुबाजी की मृत्यु के पश्चात भुबाजी की पुत्री अपीलार्थी लीलादेवी का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बतौर प्रथम श्रेणी उतराधिकारी जरिये नामान्तरकरण दर्ज किया जाना तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारीयो के लिये लाजमी था, लेकिन उन्होंने ऐसा नही कर अपीलार्थी के साथ भारी गैर इन्साफ किया है। यह कि भुबाजी के पुत्र ओटाराम की मृत्यु हो जाने से ओटाराम के वारिसान में ओटाराम की विधवा पत्नी शान्तादेवी एवं ओटाराम की पुत्री देविकाकुमारी है, जिससे ओटाराम की मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम बतौर उत्तराधिकारी ओटाराम, राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हुये है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पूर्वरसाधिकारी ओटाराम ने तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारीयो से मिली भगत कर अपीलार्थी को उसके हिस्से की कृषि भूमि से बदनियती पूर्वक वंचित करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के पति ओटाराम ने अकेले उनके नाम आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 406 दर्ज करवाया है। उक्त नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करने में तत्कालीन स्थानीय राजस्व अधिकारीयो ने भारी भूल की है। यह कि तत्कालीन राजस्व अधिकारीयो ने बिना कोई जाच किये प्रत्यर्थी संख्या– 1 (मंछाराम) एवम प्रत्यर्थी संख्या– 2 (दो) के पति ओटाराम से मिलावट कर सर्वथा गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 406 दायर करवा दिया तथा अपीलार्थी का नाम तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों ने बतौर उतराधिकारी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया है। अपीलाण्ट भुबाजी की पुत्री होने से भुबाजी की कानूनी वारिसान है तथा भुबाजी द्वारा छोडी गई कृषि भूमि में अपीलाण्ट का बतौर उतराधिकारी खातेदारी हक हिस्सा है। यह कि नामान्तरकरण संख्या 406 गलत दर्ज होने से अपीलार्थी का प्रश्नगत कृषि भूमि में खातेदारी हक हिस्सा प्रभावित नही होता है। आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 406 अपीलार्थी के हितो के विपरीत प्रभावहीन व शून्य है। यह कि अपीलार्थी के भाई ओटाराम का देहान्त होने से प्रश्नगत कृषि भूमि के आधे खातेदारी हक हिस्से के लिये गलत रूप से ओटाराम के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम नामान्तरकरण दायर हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) का उक्त कृषि भूमि मे 1/3 खातेदार हक हिस्सा विधि अनुसार है तथा इसी अनुसार प्रत्यर्थी संख्या [illegible] का सयुंक्त रूप से उक्त कृषि भूमि मे 1/3 खातेदार हक हिस्सा विधि अनुसार [illegible] उक्त कृषि भूमि में 1/3 खातेदारी हक हिस्सा विधि अनुसार है। यह कि भुबाजी की समस्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का 1/3 खातेदार हक हिस्सा है। भुबाजी की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

भुबाजी द्वारा छोडी गई कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर उसके भाईयो के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त रही है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम फलवदी, पटवार हल्का जेला के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 को निरस्त करके अपीलार्थी के पिता भुबाजी के खातेदारी की कृषि भूमि में अपीलार्थी को 1/3 हक हिस्से का खातेदार कृषक दर्ज करते हुये नये सिरे से पुनः नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार सिरोही को निर्देशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी लीलादेवी भूबाजी रावल की पुत्री ही नही है, भूबाजी रावल के वैवाहिक जीवन के केवल मात्र दो पुत्र प्रत्यर्थी संख्या–1 (मंछाराम) व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता ओटाहराम जी ही हुये थे, जिससे अपीलार्थी मृतक खातेदार भूबाजी की पुत्री नही होने से भूबाजी रावल की सम्पति में अपीलार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नही होता है। भूबाजी ने अपने जीवनकाल में अपील में अंकित कृषि भूमि का प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति ओटाराम जी के मध्य पारिवारिक समझौते के तहत बंटवाड कर दिया था, तब से प्रत्यर्थी संख्या–1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व कार्मिकों व राजस्व अधिकारियों ने जांच पडताल करके ही प्रत्यर्थी संख्या–1 मंछाराम व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति ओटाराम जी के नाम प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन के पति के नाम से नियमानुसार नामान्तरकरण दायर किया था। इस प्रकार, भूबाजी के जीवनकाल एवं भूबाजी की मृत्यु के बाद भूबाजी की सम्पति में प्रत्यर्थी मंछाराम व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता ओटाराम जी के मलिकाना हक, कब्जा व स्वामित्व कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है तथा ओटाराम जी की मृत्यु के बाद ओटाराम जी के हक हिस्से की सम्पति में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का नाम बाद जांच प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम से नामान्तरकरण दायर किया गया। मौके पर अपीलार्थी का न तो कभी भी कब्जा रहा है एवं न ही मौके पर अपीलार्थी का कब्जा–काश्त है। नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसेडिंग है, जिसके द्वारा अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के कथनों के जवाब में यह व्यक्त किया कि भूबाजी के दो पुत्र एवं एक पुत्री अपीलार्थी स्वयं है। प्रत्यर्थी मछाराम एवं प्रत्यर्थी 2 के पति ओटारामजी अपीलार्थी के सगे भाई है, अपीलार्थी के भाई ओटाराम का देहान्त हो गया है। प्रत्यर्थी मंछाराम के पुत्र दीपक कुमार का विवाह दिनांक 25.11.2016 को हुआ है, जिसकी विवाह पत्रिका में अपीलार्थी एवं उसके पति भूरजी उर्फ भूरारामजी का नाम अंकित है। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खातेदार भुबाजी रावल की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 406 हल्का पटवारी, जेला द्वारा दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 05.1.1983 को स्वीकृत किया गया है।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम फलवदी, पटवार हल्का जेला के खाता संख्या नया 14 वर्तमान खसरा संख्या 599 रकबा 0.0100 हेक्टेयर व खसरा संख्या 600 रकबा 0.9100 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.9200 हेक्टेयर एवं खाता संख्या नया 13 वर्तमान खसरा संख्या 572 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 598 रकबा 0.3500 हेक्टेयर व खसरा संख्या 601 रकबा 1.6600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] हेक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार/संयुक्त खातेदार श्री भू[illegible] की मृत्यु होने के बाद पटवारी हल्का, जेला द्वारा मृतक खातेदार [illegible] पुत्र धुडा रावल, निवासी–फलवदी के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबध में [illegible]र्थी मंछाराम पुत्र भूबाजी रावल,

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

निवासी— फलवदी व प्रत्यर्थी संख्या—2 के पति श्री ओटाराम पुत्र भूबाजी रावल, निवासी— फलवदी के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 406 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 05.1.1983 को स्वीकृत किया गया है। नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया था, जो इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किये जाने से इस अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये काउन्टर जवाब के साथ संलग्न प्रस्तुत शपथ पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक खातेदार भूबा पुत्र धुडा जी रावल, निवासी— फलवदी की अपीलार्थी लीला देवी पुत्री है एवं उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। जिससे मृतक खातेदार भूबा पुत्र धुडा जी रावल, निवासी— फलवदी के हक हिस्से की कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या—1 (मंछाराम) एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता के अलावा अपीलार्थी का भी समान रुप से हक हिस्सा है, लेकिन पटवारी हल्का, जैला ने मृतक खातेदार भूबा पुत्र धुडा जी रावल, निवासी— फलवदी की मृत्यु के बाद इनके विधिक उत्तराधिकारियों की सही रुप से जांच किये बिना ही केवल प्रत्यर्थी संख्या—1 (मंछाराम) व प्रत्यर्थी संख्या—2 व 3 के पति/पिता ओटाराम जी के पक्ष में ही उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 406 दायर किया गया एवं अधीनस्थ नायब तहसीलदार, सिरोही ने भी मृतक खातेदार भूबा पुत्र धुडा जी रावल के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही दिनांक 05.1.1983 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की यह अपील सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम फलवदी, पटवार हल्का, जेला के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दायर कर निर्णित करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम फलवदी, पटवार हल्का जैला, तहसील— सिरोही के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मृतक खातेदार भूबा पुत्र धुडा जी रावल, निवासी— फलवदी के विधिक वारिसानों की समुचित जांच कर पुनः नामान्तरकरण दायर करवाकर नियमानुसार निर्णित करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 अक्टूम्बर, 2023 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:47 IST
Reason: SelfAttested

(भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही